

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 06.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 445 वाहनों से 6,83,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 445 वाहनों से 6,83,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद** पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 06.04.2026 को **थाना कोतवाली खलीलाबाद** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 235/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित वाँछित बाल अपचारी निवासी ऊंचे दुबारा सिंगहा चंदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से पुलिस अभिरभा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 03.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को **बहला फुसलाकर भगा ले जाने के** सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 06.04.2026 को उक्त बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया ।

अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री इन्द्रभूषण सिंह, का0 जनार्दन, म0का0 मीना यादव ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दबिश के दौरान 15 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के थानों की पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दिया। इस कार्यवाही के दौरान कुल 15 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में—

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 03** वारण्टी नाम पता 01 बासदेव पुत्र सोभर निवासी टांडा 02 अभियुक्त की माँ संरक्षिका निवासी बण्डा बाजार 03 बिरजू यादव पुत्र सहदेव साकिन औराड़ाड थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 श्री हरेश्याम यादव, उ0नि0 श्री रवीन्द्र सिंह यादव, का0 संदीप यादव, का0 रवि चौरसिया, म0का0 पिकी कुमारी।

***थाना महुली पुलिस द्वारा* 05** वारण्टी नाम पता 01 राघवेन्द्र पुत्र भृगुनाथ मिश्रा निवासी चन्दापार 02 हेमन्त पुत्र किशुन निवासी ठाठर 03. महेन्द्र चौधरी पुत्र रामअजोर चौधरी निवासी मेहनिया 04. परमात्मा यादव पुत्र रामआसरे निवासी रेवटा 05. सूर्यजीत पुत्र राजकुमार निवासी चैरापूर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किय गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, उ0नि0 श्री देवेन्द्र तिवारी, उ0नि0 श्री दिलीप सिंह, का0 सूर्यनरयाण गुप्ता, का0 विनोद कुमार, का0 मोहन चौहान, का0 छोटेलाल।

***थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 01** वारण्टी नाम पता गोलू पुत्र स्व0 परशुराम निवासी पसाई थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 उमेश यादव।

***थाना बेलहर पुलिस द्वारा* 03** वारण्टी नाम पता 01 इन्द्रजीत पुत्र सुभाष निवासी बेलहर खुर्द 02 दिनेश उर्फ पिन्टू उर्फ मिन्टू पुत्र सर्वजीत निवासी ग्राम गनवरिया 03 अकरम पुत्र मो0 अकील निवासी साड़ा थाना बखिरा वर्तमान थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री रविन्द्रनाथ शर्मा, उ0नि0 श्री हरिनाथ मिश्रा, उ0नि0 श्री ब्रम्हानन्द, हे0का0 कामेश्वर सिंह, का0 बृजेश सिंह, का0 रोहित कुमार, का0 संतोष चौहान, का0 रामभूषण पटेल।

***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 03** वारण्टी नाम पता 01 अखिलेश साहनी पुत्र जोगी साहनी निवासी सरफरा 02 सुनीता पत्नी ज्ञानदास निवासी जमहोर 03 श्रीमती मैना देवी पत्नी हेमन्त निवासी उत्तर पट्टी पुरवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, हे0का0 मुरली मनोहर, म0क0 पूजा वर्मा, म0का0 प्रियंका यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम के तहत 03 अभियुक्तों को 02 अदद जिंदा गोवंशीय पशु के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दुबे*** के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मु0अ0स0 242/2026 धारा 325 बीएनएस, धारा 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित 03 अभियुक्तगण नाम पता 01. छोटके पासवान 02. कल्लू पासवान 03. बीरू पासवान पुत्रगण निरहू निवासीगण कुकुरभुकवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर को आज दिनांक 06.04.2026 को 02 अदद जिंदा गोवंशीय पशु, 03 अदद मोबाइल के साथ झुड़िया पुलिस के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण-

02 02 अदद जिंदा गोवंशीय पशु।

03 अदद मोबाइल।

अभियुक्तगण का विवरण

01. छोटके पासवान पुत्र निरहू निवास कुकुरभुकवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर।

02. कल्लू पासवान पुत्र निरहू निवास कुकुरभुकवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर।

03. बीरू पासवान पुत्र निरहू निवास कुकुरभुकवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर।

गिरफ्तारी व टीम विवरण- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, उ0नि0 अशोक कुमार दूबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 हरिनरायण, का0 राकेश कुमार, का0 प्रदीप पटेल, का0 समशेर अली।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर हेल्प हेस्क थाना बेलहरकला द्वारा 9000 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प हेस्क थाना बेलहरकला द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को **9000** रुपये की धनराशि उनके खातों में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अब्दुल बकी निवासी ग्राम बनेथू थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के साथ दिनांक 10.01.2026 को वादी से अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से 9000 रुपये का फ्राड किया गया था, जिसके सम्बन्ध में वादी के प्रार्थना पत्र पर साइबर हेल्प हेस्क थाना बेलहरकला द्वारा तत्काल शिकायत दर्ज करते हुए 9000 रुपये (शत प्रतिशत) वापस करा दिया गया।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव, म0का0 वैष्णवी शुक्ला।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।

